centres in the educational institutions to centres for Information Technology and for providing minimum computer facilities in about 100 universities and other teaching centres. This investment should be recovered within five years from the beneficiaries—present and potential.

(iii) Provide tax benefits for investments in computer facilities as applicable to R&D expenditure.

(iv) Introduce a new course—BCA (Computer Applications) and special programmes for the degree holders from other streams.

(v) An autonomous Apex Body which will set guidelines for the growth of computer manpower development should be constituted. This Apex Body should have an Accreditation Board for Computer Education to safeguard "the standards in computer education.

An interim Committee may be constituted immediately till the permanent Apex Body is constituted.

(vi) Encourage private institutions, co-operative colleges, etc. for development of computer manpower with other local or NRI participation.

(vii) All the formal computer education should be under the purview of the Ministry of Human resource Development only.

सरकारी विद्यालयों में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य

4151. **श्री कपिल वर्मा :**
श्रीमती वीणा वर्मा :
कुमारी सईदा खातून :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा छः से कक्षा आठ तक "सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य" विषय को अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के अंतर्गत कुल कितने विषय शामिल किये गये हैं और अभी तक इसके अंतर्गत कितने विषय पढाये जा रहे हैं ;

(ग) इस योजना के लिये अनुमानित बजट कितना है ; और

(घ) क्या शिक्षा निदेशालय ने इस शैक्षिक सत्र में कुछ नये स्कूल खोलने का निर्णय लिया है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से यह दिशा निर्देश प्राप्त होता है कि कार्य अनुभव को, जिसे उद्देश्यपूर्ण व सार्थक काम के रूप में देखा गया है, जो अध्ययन प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है तथा जिसके फलस्वरूप यह समुदाय के उपयोगी वस्तुओं अथवा सेवाओं के रूप में होता है, शिक्षा के सभी स्तरों पर एक अनिवार्य घटक होना चाहिए और इसे सुगठित तथा श्रेणीबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1988 में प्रारंभिक और सैकेण्डरी शिक्षा के लिए निकाला गया पाठयचर्या ढांचा स्कूली बच्चों के लिए एक कार्यानोन्मुख शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में कार्य-अनुभव की सिफारिश करता है। यह एक गैर - स्कूली विषय है जिसके लिए ढांचा प्रबंध के सभी प्रकारों के अन्तर्गत स्कूलों के लिए कक्षा VI से VIII तक में 12% शैक्षिणिक समय की सिफारिश करता है ।

(ग) कार्य-अनुभव कार्यकलापों के लिए पृथक बजट नहीं है।

(घ) चूंकि किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह सूचना देना संभव नहीं है।